सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 821 राँची, शुक्रवार, 12 कार्तिक, 1938 (श०)

3 नवम्बर, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

18 जुलाई, 2017

विषय:- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को किरासन तेल वितरण योजना में प्रति लीटर कमीशन रूपये 01 (एक रूपये) मात्र में राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही 50 प्रतिशत राशि अर्थात 50 पैसा प्रति लीटर सीधे जन वितरण प्रणाली दुकानदार को उपलब्ध कराने के संबंध में ।

संख्या-खा.प्र.01/ज.वि.प्र./कि.ते./08-02/2016 - 3109,-- राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु एवं दुकानदारों के जीवन स्तर में सुधार हो सके इस परिपेक्ष्य में दुकानदारों द्वारा वितरित किरासन तेल के कमीशन में 01 रूपये प्रति लीटर विभागीय संकल्प संख्या 260, दिनांक 18 जनवरी, 2017 द्वारा निर्धारित किया गया था ।

2. संकल्प संख्या 260, दिनांक 18 जनवरी, 2017 में किसी भी कंडिका में दुकानदारों को कमीशन देय किस प्रकार होगा इसकी परिचर्चा नहीं थी । पूर्व से चली आ रही परम्परा के अनुसार पूर्व में दिये जाने वाले 05 पैसा प्रति लीटर कमीशन किरासन तेल दुकानदारों को सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं कराया जाता था । इसका कारण उस समय जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के आँकडों

का अंकीकरण नहीं होना एवं सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास बैंक खाता अनुपलब्ध रहना था । इस कारण उन्हें 05 पैसा प्रति लीटर कम दर पर किरासन तेल थोक विक्रेता से किरासन तेल उपलब्ध कराया जाता था । तथा किरासन तेल थोक विक्रेता की क्षतिपूर्ति हेतु विभाग उतनी ही राशि का आवंटन थोक विक्रेता द्वारा बिक्री किये गये किरासन तेल की मात्रा के अनुपात में जिलों को किया जाता था । विभागीय संकल्प संख्या 260, दिनांक 18 जनवरी, 2017 के अनुसार माह जनवरी 2017 से 05 पैसे प्रति लीटर की राशि बदल कर 50 पैसा प्रति लीटर हो गई ।

3. वर्तमान में किरासन तेल थोक विक्रेताओं को भारत सरकार से 787.82 रूपये प्रति किलो लीटर की दर से कमीशन उपलब्ध कराया जाता है । स्वीकृत विभागीय संकल्प संख्या 260, दिनांक 18 जनवरी, 2017 द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को 01 रूपये प्रति लीटर अथवा 1000 रूपये प्रति किलो लीटर की दर से कमीशन दिया जा रहा है । इसका 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । इस प्रकार प्रति किलो लीटर पर किरासन तेल थोक विक्रेताओं से 500 रूपये की राशि कटौती की जायेगी जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में की जाती है । परन्तु इससे किरासन तेल थोक विक्रेताओं के व्यापार पर पड़ने वाले आर्थिक दुषप्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता ।

4. वर्तमान में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास आधार संख्या है तथा इन सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास बैक खाता भी है । इनके द्वारा खाद्यान्न, नमक एवं चीनी हेतु राशि का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को NEFT के माध्यम से किया जाता है । दुकानों के कम्प्यूटरीकरण के क्रम में BOOT Model के तहत सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को भी e-PoS मशीन उपलब्ध करा दिया गया है । इसके तहत आधार से सत्यापनोपरान्त लाभुकों को खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता है । यह सारी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत है तथा इसे DSO Login तथा Departmental Login से भी e-PoS द्वारा वितरित खाद्यान्न, किरासन तेल की मात्रा इत्यादि को Live देखा जा सकता है ।

5. खाद्यान्न, चीनी एवं नमक में कमीशन की राशि दुकानदारों को सीधे तौर पर उपलब्ध होती है ।

6. उक्त के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि किरासन तेल कमीशन में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि 50 पैसा प्रति लीटर किरासन तेल थोक विक्रेताओं को न देकर, जन वितरण प्रणाली दुकानों को उनके e-PoS द्वारा वितरित किरासन तेल की मात्रा के आधार पर सीधे तौर पर उपलब्ध करा दिया जाय । इससे जहाँ किरासन तेल थोक विक्रेताओं का व्यापार प्रभावित नहीं होगा वहीं दूसरी ओर किरासन तेल वितरण में भी पारदर्शिता आयेगी ।

राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही 50 प्रतिशत राशि अर्थात 50 पैसा प्रति लीटर सीधे जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उपलब्ध कराने से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पडेगा ।

7. इस हेतु जन वितरण प्रणाली दुकानदार, माहवार वितरित कुल किरासन तेल की मात्रा का e-PoS मशीन से Slip Print कर प्रति लीटर 50 पैसे की दर से अभिश्रव भुगतान हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपने Login से दुकानदारों के e-PoS द्वारा वितरित किरासन तेल की मात्रा एवं उपलब्ध Slip Print पर अंकित अभिश्रव की मात्रा का मिलान कर दुकानदार के अभिश्रव का भुगतान करेंगे ।

8. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 11 जुलाई, 2016 की बैठक की मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 821--100